



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18052026-272660
CG-DL-E-18052026-272660

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 334]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 18, 2026/वैशाख 28, 1948

No. 334]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 18, 2026/VAISAKHA 28, 1948

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मई, 2026

सा.का.नि. 369(अ).— केंद्रीय सरकार, नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नागरिकता नियम, 2009 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नागरिकता (संशोधन) नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. नागरिकता नियम, 2009 में, अनुसूची-IC के अंतर्गत, पैरा (iii) के बाद निम्नलिखित पैरा सम्मिलित किया जाए:-

“ (iii)क) मैं पाकिस्तान/अफ़ग़ानिस्तान/बांग्लादेश सरकार द्वारा जारी किए गए वैध और/या वैधता समाप्त हो चुके पासपोर्ट(पासपोर्टों) का धारक नहीं हूँ।

या

मैं पाकिस्तान/अफ़ग़ानिस्तान/बांग्लादेश सरकार द्वारा जारी किए गए वैध और/या वैधता समाप्त हो चुके पासपोर्ट (पासपोर्टों) का धारक हूँ, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

पासपोर्ट संख्या:

जारी करने की तिथि:
जारी करने का स्थान:
वैधता समाप्ति की तिथि:

मैं यह स्वीकार करता/करती हूँ कि नागरिकता आवेदन की स्वीकृति के 15 दिनों के भीतर अपना वैध और/या वैधता समाप्त पाकिस्तानी/अफ़ग़ानिस्तानी/बांग्लादेशी पासपोर्ट संबंधित वरिष्ठ अधीक्षक डाक या अधीक्षक डाक को जमा कर दूँगा/दूँगी”

[फा. सं. 26030/34/2025-आई.सी.-I]

गया प्रसाद, संयुक्त सचिव

टिप्पण : प्रमुख नियमों को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना सा.का.नि. 124 (ई) दिनांक 25 फरवरी, 2009 द्वारा प्रकाशित किया गया था और इनमें अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 172 (ई) दिनांक 11 मार्च, 2024 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 18th May, 2026

G.S.R. 369(E).— In exercise of the powers conferred by section 18 of the Citizenship Act, 1955 (57 of 1955), the Central Government hereby makes the following rules to further amend the Citizenship Rules, 2009, namely:-

- Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Citizenship (Amendment) Rules, 2026.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- In the Citizenship Rules, 2009, in Schedule IC, after paragraph (iii), the following paragraph shall be inserted, namely: -

“(iiiA) I am not in possession of a valid and/or expired passport(s) issued by the Government of Pakistan/Afghanistan/Bangladesh.

OR

I am in possession of a valid and/or expired passport(s) issued by the Government of Pakistan/Afghanistan/Bangladesh with the following details:-

Passport No. :.....

Date of issue:

Place of Issue:

Date of expiry:

I hereby agree to surrender my valid and/or expired Pakistani/Afghanistani/Bangladeshi passport to Senior Superintendent of Post or Superintendent of Post concerned within 15 days of approval of citizenship application.”

[F. No. 26030/34/2025-IC.I]

GAYA PRASAD, Jt. Secy.

Note : The Principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification G.S.R. 124(E) dated the 25th February, 2009 and last amended, *vide* notification number G.S.R. 172(E) dated the 11th March, 2024.